न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/7988/2001/हनुमानगढ

1. पूर्णाराम पुत्र श्री तिलोकराम, जाति कुम्हार, निवासी रामगढ, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. रामजस पुत्र हेतराम, जाति कुम्हार, निवासी रामगढ, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
2– रामसिंह
3– हरी राम } पुत्र हेतराम, जाति कुम्हार, निवासी रामगढ,
4– जय किशन } तहसील, नोहर, जिला हनुमानगढ।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), नोहर।

.....रैस्पो0

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/732/2002/हनुमानगढ

1. पूर्णाराम पुत्र श्री हेतराम, जाति कुम्हार, निवासी रामगढ, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. रामजस पुत्र हेतराम, जाति कुम्हार, निवासी रामगढ, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
2– रामसिंह
3– हरी राम } पुत्र हेतराम, जाति कुम्हार, निवासी रामगढ,
4– जय किशन } तहसील, नोहर, जिला हनुमानगढ।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), नोहर।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ

श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–

श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री पवन सिंह चौहान, अधिवक्ता रैस्पो0 – 1

श्री शशिकान्त जोशी व श्री मुकेश जैन,अधिवक्ता रैस्पो0–2 से 4

निर्णय

दिनांकः 31–05–2018

हस्तगत दोनों द्वितीय अपीलें अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रकरण अपील संख्या 79/1999 अनुवानी रामसिंह बनाम पूर्णराम एवं अपील संख्या 78/1999 अनुवानी पूर्णराम बनाम रामजस में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–11–2001 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। दोनों अपीलों में निहित पक्षकार, वादग्रस्त आराजीयात, विवाद बिन्दु

व तथ्य समान होने से दोनों अपीलों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है, निर्णय सम्बन्धित पत्रावली में लगाया जाए।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/वर्तमान अपील के अपीलार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), नोहर के न्यायालय में घोषणा व बॅटवारे का वाद प्रतिवादी/वर्तमान रैस्पो0 के विरुद्ध इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वाके रोही चक 16 डी0पी0एन0 तहसील नोहर स्थित प्रश्नगत आराजी हेतराम पुत्र हरचन्द की आराजी है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का 1/6, 1/6 हिस्सा है। दावा डिक्री कर आराजी को तकसीम किया जाए। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने जबाबदावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया जिसमें वाद के तथ्यों को अस्वीकार कर अंकित किया कि हेतराम द्वारा अपनी पैत्रक आराजी को बेचान कर वादी तथा प्रतिवादी रामजस के नाम संयुक्त परिवार के रुप में भूमि आवंटन करा दी जो वादी व प्रति0 रामजस के नाम है। हेतराम के जीवनकाल में बॅटवारे में वादी व प्रति0 रामजस को अलग भूमि मिली तथा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को प्राप्त हुई है और प्रतिवादी का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी के पक्ष में हेतराम ने दिनांक 9–11–1989 को एक वसीयत की है जिसमें वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी 3 से 5 का ही कब्जा हिस्सा होना अंकित किया है। दावा खारिज किया जाए। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), नोहर ने दिनांक 04–08–1999 को दावा वादी डिक्री कर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील संख्या 78/1999 पूर्णराम बनाम रामजस तथा अपील संख्या 79/99 रामसिंह वगेरा बनाम पूर्णराम प्रस्तुत की गईं। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12–11–2001 से अपील संख्या 78/1999 पूर्णराम बनाम रामजस अस्वीकार की गई तथा अपील संख्या 79/99 रामसिंह वगेरा बनाम पूर्णराम स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), नोहर के निर्णय दिनांक 04–08–1999 को खारिज कर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का काउण्टर क्लेम डिक्री किया गया। अपील संख्या 78/1999 पूर्णराम बनाम रामजस में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–11–2001 के विरुद्ध अपील संख्या 732/2002 तथा अपील संख्या 79/99 रामसिंह वगेरा बनाम पूर्णराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–11–2001 के विरुद्ध अपील संख्या 7988/2001 मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में उज्र लिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी–अपीलार्थी की ओर से जो वाद दायर किया गया था उसमें स्पष्ट रुप से अभिकथन किया गया था कि हेतराम के वारिसान में वादी एवं प्रति0 संख्या 1 से 5 रहे हैं और हेतराम दिनांक 09–5–1994 को फोत हो चुका है। प्रश्नगत भूमि

हेतराम के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि होने से हेतराम के समस्त वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1से 5 का प्रश्नगत भूमि में बराबर बराबर हक व हिस्सा रहता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि प्रतिवादी द्वारा परीक्षण न्यायालय में जो जवाबदावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया है, उसमें हेतराम द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 रामजस को भूमि अलग से वाहमी बंटवारे में दिया जाना तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को प्रश्नगत भूमि देना अंकित किया है। दिनांक 09–11–1989 को हेतराम द्वारा रामसिंह, हरिराम, जयकिशन के पक्ष में वसीयत देने का तथ्य अंकित किया है किन्तु प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी की भूमि रही है और गैर खातेदारी की भूमि वसीयत के जरिये हस्तांतरण नहीं की जा सकती, जैसा कि आर.आर.टी. 2014(1) पेज 210 में मत व्यक्त किया गया है। वसीयत पर उसके लेखक या नोटेरी पब्लिक के बयान नहीं करवाये गये हैं। अतः उक्त वसीयत कानूनी प्रावधानों के तहत मान्य नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि रही है और पैतृक भूमि से मृतक हेतराम के जायज वारिसान के हक इस आधार पर समाप्त नहीं किये जा सकते कि वे दीगर गांव में निवास करते हैं जैसा कि आर.आर.डी. 2000 पेज 45 में माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने मत व्यक्त किया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत परीक्षण करते हुए निर्णय व डिक्री 04–8–1999 पारित किये हैं जिनमें अनावयश्यक रूप अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12–11–2001 से हस्तक्षेप किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावें और परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के निर्णय व डिक्री 04–8–1999 को निरस्त किया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वाद को डिक्री किया गया था इसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा परीक्षण न्यायालय में इकबाल दावे के अनुसार प्रकरण को निर्णित किया जावे।

6– योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 4 ने कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के जवाबदावे में हमनें स्पष्ट रूप से यह प्ली ली है कि हेतराम की पैतृक जायदाद को बय कर वादी तथा प्रतिवादी संख्या–1 रामजस के नाम संयुक्त परिवार की सम्पति में भूमि आवंटन करा दी थी जो वादी तथा प्रतिवादी रामजस के नाम दर्ज है। इस प्रकार वाहमी बंटवारा हो गया था और विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हिस्से में आई है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति नहीं रही है और हेतराम द्वारा दिनांक 09–11–1989 को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पक्ष में वसीयत करा दी गई थी जिसे दोनों गवाहों के बयान कराकर सिद्ध किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि वसीयत 31 बीघा भूमि के संबंध में है जिसमें से 10 बीघा खातेदारी की और 21 बीघा गैर खातेदारी की थी किन्तु वसीयत प्रभाव में आने के समय 21 बीघा की खातेदारी भी हेतराम को प्राप्त हो चुकी थी। वसीयत के आधार पर हस्तांतरण

किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने न्याय दृष्टांत 2012 आर.बी.जे. पेज 69 (एस.सी.) पैरा–14, 2000 आर.बी.जे. पेज 313 खण्डपीठ माननीय राजस्व मण्डल, 1984 आर.आर.डी. पेज 391 खण्डपीठ, 1997 आर.बी.जे. पेज 196 उद्धरित किये। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि यदि ये विरासत का तर्क लेते हैं तो इन्हें वाद में हेतराम की पॉचों पुत्रियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था किन्तु वर्तमान प्रकरण में इनके द्वारा केवल वसीयत के बारे में उज्र लिया गया है और यदि अपीलार्थी वसीयत को फर्जी होना कहते हैं तो इसे सिद्ध करने का भार भी अपीलार्थी का ही रहा है। न्याय दृष्टांत 1986 आर.आर.डी. पेज 454 (एच.सी.) उद्धरित की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया वादी/अपीलार्थी द्वारा हेतराम की पुत्रियों को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि 2004 आर.बी.जे. पेज 288 (एच.सी.) एवं 2005 आर.बी.जे. पेज 651 के अनुसार प्राकृतिक उत्तराधिकारियों जिनमें बहनें होती हैं, को वाद में पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक था। योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि स्व–अर्जित आराजी के संबंध में वसीयत करने का हेतराम को पूर्ण अधिकार था और अनूपगढ़ की जमाबंदी से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट को 45 बीघा जमीन प्रदान कर दी गई थी। आवंटन भूमि पर 10 वर्ष के उपरांत स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और जिस दिन वसीयत अस्तित्व में आई उस दिन हेतराम को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। योग्य अधिवक्ता ने 1992 आर. आर.डी. पेज 532–ए इस बिन्दू पर उद्धरित किये। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से जो निर्णय व डिक्री दिनांक 04–8–1999 पारित की है, उसमें अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत विस्तार से परीक्षण करने के उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांतों का ससम्मान अध्यय किया गया।

8– प्रकरण मे परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि वादी पूर्णाराम पुत्र हेतराम द्वारा इस्तकरारहक व तकसीम खाता का वाद, आराजी मुताबिक वादपत्र संख्या–2, के संबंध में परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या–1 शान्ति बेवा हेतराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 (पुत्रान हेतराम) के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें हेतराम के समस्त वारिसान के मध्य 1/6, 1/6 हिस्से बाबत् विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या–1 शान्ति बेवा हेतराम फोत हो गई। प्रतिवादी संख्या 2 रामजस द्वारा वादी के पक्ष में इकबालदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने जवाबदावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया जिसमें वादी के वाद के तथ्यों से असहमति प्रकट की। प्रतिवाद में मुख्य रूप से यही उज्र लिया गया कि वादी एवं प्रतिवादी

संख्या 2 को, हेतराम द्वारा संयुक्त परिवार के सम्पति में भूमि आवंटन करा दी थी और हेतराम के नाम तथा वादी व रामजस के नाम दर्ज भूमि का वाहमी बंटवारा हो गया था जिसके अनुसार वादी को भूमि चक नंबर 8 डी.जी.डी.बी. की 18 बीघा 10 बिस्वा तथा रामजस प्रतिवादी को चक नंबर 5 एन.डब्ल्यू. की 25 बीघा भूमि प्राप्त हुई तथा प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के हिस्से में आई तथा यह भी अंकित किया कि हेतराम द्वारा दिनांक 09–01–1989 को रामसिंह, हरिराम व जयकिशन के पक्ष में वसीयत कर दी गई थी।

9– पत्रावली के अवलोकन से यह पुष्ट होता है कि जमाबंदी सम्वत् 2048 के अनुसार 10 बीघा भूमि पर हेतराम की खातेदारी दर्ज रही है और इसी जमाबंदी में 21 बीघा भूमि हेतराम की गैर खातेदारी में दर्ज है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 9–5–1994 को हेतराम फौत हुआ है। हेतराम द्वारा दिनांक 9–11–1989 को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पक्ष में वसीयत की गई । विवादित आराजी में से 10 बीघा खातेदारी की तथा 21 बीघा भूमि आवंटन शुद्धा/ गैरखातेदारी की थी। इस प्रकार हेतराम के अधिकार में मृत्यु के समय 31 बीघा भूमि रही थी। पत्रावली पर इस प्रकार की कोई भी साक्ष्य नहीं है कि इस 31 बीघा में से 10 बीघा भूमि हेतराम को पैतृक रूप से प्राप्त हुई हो। जमाबंदी संवत 2047 के अनुसार पूर्णाराम की भूमि का खाता पृथ्क से बनाया गया है तथा जमांबदी संवत 2050 से 2053 के अनुसार प्रदर्श डी–3 रामजस अलग से खातेदार के रूप मे दर्ज है, जैसा कि रेस्पोडेंट द्वारा कथन किया गया है कि वाहमी बंटवारे में वादी और प्रतिवादी संख्या–2 को अलग भूमि दे दी गई थी। पत्रावली में उपलब्ध वसीयत के अनुसार यह भी पुष्ट होता है कि हेतराम द्वारा दिनांक 09–11–1989 को वसीयत प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पक्ष में पंजीबद्ध कराई है और इस पर दो गवाहों की निशानी भी कराई गई है। 1997 आर.बी.जे. पेज 196 पर माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने स्पष्ट रूप से मत प्रतिपादित किया है कि वसीयत के आधार पर भूमि का हस्तांतरण किया जा सकता है और वसीयतकर्ता के फोत होने के उपरांत वसीयत–गृहिता पूर्ण रूप से मालिक हो जाता है, जो निम्न प्रकार है :–

> **RAJASTHAN COLONISATION ACT 1954 SECTION 13- LAND CAN BE TRANSFERED THROUGH WILL - AFTER DEATH OF EXECUTANT OF WILL - TRANSFEREE BECOMES ABSOLUTE OWNER.**

आर.आर.डी. 1984 पेज 391 पर माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने स्पष्ट रूप से अभिमत पारित किया है कि वसीयत किसी भी साधारण पेपर पर लिखी जा सकती है और उसका पंजीयन होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि उद्धरण निम्न प्रकार हैः–

> Will-Registration Act, Sec. 18(e)-Will, rejected by Addl Collector on ground that it was written on a plain paper

and not acted upon-Held, will can be written on any type of paper and not required to be regd. though its execution by deceased in prescribed manner, required to be proved by persons claiming benefit-Order, set aside.

2000 आर.बी.जे. पेज 313 पर माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने निम्न प्रकार से मत पारित किया हैः–

INDIAL SUCCESSION ACT, 1925 - SECTION 63 (C) - WILL - When witnesses stated that executant of the will signed on the Will in their presence and attesting witness signed in the presence of the executant of the Will - Will stands proved.

10– जहां तक योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्याय दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज 209 का संबंध है तो यह सही है कि गैर खातेदारी की भूमि की वसीयत निष्प्रभावी रहती है किन्तु वर्तमान प्रकरण में वसीयत 09–11–1989 को की गई थी और आवंटन शुदा 21 बीघा भूमि पर भी वसीयत प्रभाव में आने के समय हेतराम को खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी। अतः योग्य अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्याय दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज 209 वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। अपीलार्थी पक्ष द्वारा वसीयत को फर्जी या साजिशन होने का आक्षेप लिया है तो 1986 आर.आर.डी. पेज 454 माननीय उच्च न्यायालय के मतानुसार अपीलार्थी को अपने कथनों को स्वयं साबित करना होगा।

Indian Succession Act, Sec.283 - Will-Provinig of-Onus-Mode of proving a will not ordinarly different from proving any other document except as to special requirement of attestation prescribed in case of will by Sec.63-Onus of proving will is on propounder in absence of suspicious circumstances surrounding its execution - Proof of testamentary capacity and signs of attestor is sufficient discharge of onus - When caveator alleges under influence, fraud, corecion etc., onus is upon him to prove the same - By mere fact that litigation was pending between `J' who executed will andfather of `P' in whose favour will executed, it cannot be taken that `J' could not have made will in favour of `P'.

रेस्पोडेंट–प्रतिवादी पक्ष द्वारा वसीयत दिनांक 9–11–1989 के दोनों "अटैस्टिंग विटनेस" के बयान कराकर साबित किया है फिर भी यदि अपीलार्थी वसीयत को किसी प्रकार से फर्जी होने का कथन करते हैं तो सक्षम न्यायालय से चाराजोई कर सकते हैं। फलतः प्रकरण में

समग्र रूप से अवलोकन करने के उपरांत हम पाते हैं कि प्रश्नगत भूमि के मूल खातेदार हेतराम द्वारा अपने पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बंटवारे में पृथ्क से भूमि प्रदान कर दी गई थी। इसके अलावा हेतराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पक्ष में वसीयत कर विधिवत रूप से आराजी का हस्तांतरण करा दिया गया था। अतः हेतराम की जिस 31 बीघा भूमि के लिए वादी–अपीलार्थी द्वारा वाद लाया गया है, उसमें वादी व प्रतिवादी संख्या–2 का किसी प्रकार का अधिकार शेष नहीं रहता है। परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी पूर्णाराम के वाद को डिक्री कर, प्रतिवादी संख्या–1 शान्ति बेवा हेतराम के फोत होने पर, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को 1/5, 1/5 हिस्से की डिक्री प्रदान की है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस निर्णय के विपरीत जाते हुये, प्रकरण के तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर अपील स्वीकार की है और, प्रतिवादी के प्रतिवाद को डिक्री कर प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पक्ष में डिक्री प्रदान की है। इस निर्णय में हम किसी प्रकार की अनियमितता होना नहीं पाते हैं और उपरोक्त विवेचन, तथ्यात्मक परिस्थिति, उद्धरित न्याय दृष्टांतो की रोशनी में अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष